न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 264 / 23 — निर्णय दिनांकः–29-10-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023 / 264)

1. नत्थू खां पुत्र अतु खां जाति मुसलमान निवासी गोगलीवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 26–10–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 26–10–2002 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील पूगल में वर्ष 1988 में तादादी 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु तमाम सबूतों के साथ आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट् द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत यथा भूमि काश्तकारी पेशा व शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन तहसील पूगल में बारानी भूमि में आवंटन हेतु राज्यादेश क्रमांक एफ–3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है।

इस संबंध में अपीलांट् को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट् ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अदालत मातहत द्वारा बारानी भूमि आवंटन बन्द होने के कारण आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 के द्वारा दिनांक 13–03–1991 द्वारा बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट् के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के स्थान पर आवंटन हेतु अथवा उक्त रोक को हटाये जाने तक लम्बित रखना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परिपत्र की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट् के आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है।

अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर अदालत मातहत ने प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–2002 के विरूद्व अपील दिनांक 18–09–23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट् का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट् द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन राज्यादेश के तहत बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट् किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18–09–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में राज्य पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई काऊण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

प्रकरण में मियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे (आरजे) 2014 गोविन्द सिंह बनाम रामविलाय आदि में अभिलिखित किया गया है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। जहॉ सारभूत न्याय तथा तकनीकी आधार में टकराहट हो, सारभूत न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। मियांद

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। जहां एकतरफा आदेश पारित किया गया हो वहां मियांद अधिनियम बाधक नहीं होता है इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी यह स्पष्ट किया गया है– **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."**

प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश एकरतफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जिस राज्यादेश के आधार पर खारिज किया गया है उक्त राज्यादेश के प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा राजस्व (उपनिवेशन) विभाग का परिपत्र जोकि शासन उप सचिव द्वारा क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 को जारी किया गया है, की प्रति पेश की गई है, जिसके अनुसरण में पूर्व में दिनांक 13–03–1991 को बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में राज्यादेश की विधि सम्मत् व्याख्या नहीं किये जाने का मियाद के बिन्दु पर किसी पक्षकार विशेष के अधिकारों का हनन नहीं किये जाने अपितु सारभूत न्याय प्रदान करने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट् ने भूमिहीन बारानी आवंटन के तहत आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये। अदालत मातहत द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र उपनिवेशन तहसील पूगल में राज्यादेश क्रमांक एफ –3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट् द्वारा बारानी भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र राज्यादेश क्रमांक एफ–3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 के अनुसरण में बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा दौराने बहस राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके द्वारा दिनांक 13–03–1991 को इगानप (द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है, की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आवंटन की कार्यवाही करने का कथन किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ–3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 के माध्यम से बारानी भूमि के आवंटन पर रोक लगाई थी ना की उक्त अधिसूचना के माध्यम से बारानी भूमि आवंटन बन्द किया गया था। अदालत मातहत द्वारा स्वेच्छाधारी तरीके से राज्य सरकार की अधिसूचना की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट् को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत परिपत्र राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 के माध्यम से दिनांक 13–03–1991 द्वारा इगानप (द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जा चुका है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13–03–1991 की गलत व्याख्या करते हुए आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् उक्त परिपत्र के अनुसरण में राहत प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18—06—2008 के अनुसरण में अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक २९-१०-२०२५ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर